

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांक 929 / 33-1, दिनांक, महोबा, सितम्बर 08, 2022

सेवा में,

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पनकी, कानपुर।

विषय:-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम जार्डन गंज तहसील-चरखारी, जिला-महोबा स्थित गाटा संख्या-568, 577 (MDR 15B) पर बी साइट किसान सेवा केन्द्र (न्यू रिटेल आउटलेट) बांयी पटरी पर विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.1972 हे० संरक्षित वन भूमि (चैनेज-14, 480 से 14.520 LHS) के प्रयोग हेतु संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/२५२/२०२२/एफ०सी०/४६६, दिनांक 05.09.2022.
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-887/11-सी-FP/UP/Approach/155008/2022, दिनांक 07.09.2022

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त सभी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार मय संलग्नक के इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त शर्तों के शर्त संख्या-02 के अनुपालन के क्रम में 395 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 419930.00 (चार लाख उन्नीस हजार नौ सौ तीस मात्र) एवं शर्त संख्या-4 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1972 हे० की एन०पी०वी० आदेशित दिनांक 06.01.2022 और 19.01.2022 के अनुसार आगणित धनराशि रु० 188875.00 (एक लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) कुल धनराशि 608805.00 (छः लाख आठ हजार आठ सौ पाँच मात्र) ऑनलाईन ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर जमा पर्ची की मूल पावती सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

बिन्दु संख्या-02 व 04 का आगणन निम्न प्रकार है:-

बिन्दु संख्या-02 :- शर्त संख्या-02 के अनुपालन के क्रम में 395 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 419930.00 (चार लाख उन्नीस हजार नौ सौ तीस मात्र) होती है।

बिन्दु संख्या-04 :- बिन्दु संख्या-04 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.1972 हे० की एन०पी०वी० आगणित धनराशि 0.1972X957780 = 188875 रु० (एक लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) होती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या _____/अ/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

महोबा वन प्रभाग, महोबा।